

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

खरधाराम पुत्र बाबूराम	बनाम	बाबूराम पुत्र सेनाराम
जाति - भेखवाल, नि. - निम्बला		जाति - भेखवाल, नि. - निम्बला
तह. - शिव, जिला - बाड़मेर		तह. - शिव, जिला - बाड़मेर
वर्ग - (02)		वर्ग - (06)

किस्म मुकदमा 88,40,91,180 अधि. मुकदमा नम्बर 153 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.22	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>जेठाराम कुमावत</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88,40,91,180</u> राजस्थान कारतकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19.10.22</u> को पेश हो।	
19.10.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सख्त 1 व 3 खंड उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी जज के तलब सुनवा नोटिस पेश किए, जिसे शामिल पत्रावली मिल गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी जज का इंतजार होकर आगवा दिनांक <u>02.12.22</u> को पेश हो।	<u>कुमावत</u> सहायक कलक्टर (SDO) शिव
02.12.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीर्घ कार्य में विलंब होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक <u>24.02.23</u> को पेश हो।	
24.2.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीर्घ कार्य में विलंब होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक <u>15.5.23</u> को पेश हो।	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19/05/25

पत्रावली पेश हुई।
बाद में प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्टवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 18.6.25 को पेश हो।

18.6.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीटरीसीन अधिकार
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्टवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 01.7.25 को पेश हो।

01/07/25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीटरीसीन अधिकार
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्टवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 01.08.25 को पेश हो।

28.07.25

पत्रावली पेश वारी अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली बास्ते संशोधित शीकट हेतु
दिनांक 18.08.25 को पेश हो।

18.08.25

पत्रावली पेश वारी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी पेश हेतु न्यायालय
समक्ष में वारी व वारी वकील के बार-बार
आवाजें दी जाते हैं बावजूद अनुपस्थित।
अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पेश नहीं
होने तथा वारी व वारी वकील के अनुपस्थित
रहने पर उक्त वाद अग्रे घजरी व अग्रे पेशी
में खारीज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से उक्त घेकर
याचित दस्तूर है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव